

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

-:: संशोधन आदेश ::-

इस कार्यालय द्वारा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के विभिन्न विषय के वेतन व्यवस्था के आदेश जारी किया गया था, में संबंधित कार्मिक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर कॉलम संख्या 4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक एवं पदस्थापन स्थान	मूल आदेश क्रमांक/दिनांक	जारी संशोधन जो किया जाना है
1	2	3	4
1	याशमीम बेगम खान (व्याख्याता - उर्दू) राबाउमावि. लक्ष्मीनाथ घाटी बीकानेर	शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/वेतन व्यवस्था/2020-21/378 दिनांक 03.12.2021	वेतन व्यवस्था आदेश दिनांक 03.12.2021 में क्रम संख्या 4 पर कॉलम संख्या 2 में अंकित रा. सादुल उमावि. बीकानेर के स्थान पर राबाउमावि. लक्ष्मीनाथ घाटी बीकानेर पढ़ा जावें।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 07/12/2021

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/संशोधन/ 656
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. शासन उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित आशार्थी।
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर